



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228416
CG-DL-E-22072021-228416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]
No. 201]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ 31, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

सं. 16/2015-2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/492/एएम-20/पीसी-4.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

- (i) एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.41 के अन्तर्गत, एक नया उप-पैरा (ड.) जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

4.41 आयात की वैधता अवधि और प्राधिकार पत्रों का पुनर्वैधीकरण

(ड.) 15 अगस्त, 2020 को या उसके बाद जारी अग्रिम प्राधिकार-पत्र और जो उपर्युक्त पैरा 4.41 (ख) के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए हैं, हेतु समाप्ति की तिथि से बारह माह तक केवल एक पुनर्वैधीकरण की अनुमति होगी। ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए आगे किसी पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैरा 4.41 (ग) के अन्तर्गत पुनर्वैधीकरण का प्रावधान भी ऐसे अग्रिम प्राधिकार-पत्रों के लिए लागू नहीं होगा। ऐसे किसी भी पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन 1 अगस्त, 2021 को या उसके पश्चात संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) मौजूदा पैरा 4.51 और पैरा 4.57 को नीचे दर्शाये गए नए पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है:

| मौजूदा पैरा | नया पैरा |
|---|---|
| <p>4.51 खातों का समुचित रख-रखाव</p> <p>प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4ज या 4झ में जैसा कि लागू हो यथानिर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत का सही और उचित हिसाब रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होगा। तथापि, 13.05.2005 को या इसके बाद जारी प्राधिकार पत्रों हेतु इन रिकार्ड्स को उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्ड्स को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।</p> | <p>4.51 उचित लेखा-जोखा का रखरखाव</p> <p>प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारक निर्धारित परिशिष्ट 4ज या 4झ जैसा कि लागू हो के अनुसार प्रत्येक प्राधिकार पत्र के लिए शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू रूप से खरीदे गए माल की खपत और उपयोग का सही और उचित लेखा-जोखा रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरू में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को ऑनलाइन फाइल करना जरूरी है। इसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर डैशबोर्ड-रिपोर्टिग-सीए/सीई रिपोर्टिग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।</p> |

| मौजूदा पैरा | नया पैरा |
|---|---|
| <p>4.57 आयात और इसके उपयोग के उचित लेखा-जोखा का रख-रखाव</p> <p>मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 4ज में यथानिर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल के उपयोग और खपत का सही और उचित लेखा जोखा रखेगा। इन रिकार्डों को बाण्ड छूट/विमुक्ति/निर्यात दायित्व के निष्पादन/हस्तान्तरणीयता के लिए अनुरोध सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजना होगा। इन रिकार्डों को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा।</p> | <p>4.57 आयात और इसके उपयोग के उचित लेखा-जोखा का रख-रखाव</p> <p>मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 4ज में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकार-पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू रूप से खरीदे गए माल की खपत और उपयोग का सही और उचित लेखा-जोखा का रख-रखाव करेगा। इन रिकार्डों को बाण्ड छूट/हस्तांतरणीयता के अनुरोध के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑन लाइन भेजा जाना अपेक्षित है।</p> |

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: इस सार्वजनिक सूचना के तहत—

- प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.41 को दिनांक 15.08.2020 को अथवा इसके बाद जारी अग्रिम प्राधिकार-पत्रों को 12 माह की अवधि हेतु केवल एक पुनर्वैधीकरण (पूर्व में उपलब्ध प्रत्येक 6 माह के 2 पुनर्वैधीकरण की बजाए) को अनुमत करने के लिए संशोधित किया गया है।
- प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.51 और 4.57 को रिकार्ड को ऑन लाइन तरीके से प्रस्तुत करना अनुमत करने हेतु संशोधित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 22nd July, 2021

No. 16 /2015-2020**Subject: Amendments in Handbook of Procedures 2015-20- reg.**

F. No. 01/94/180/492/AM20/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment in Hand Book of Procedures 2015-20:

(i) Under Para 4.41 of HBP 2015-20, a new sub-para (e) is added, as mentioned below:

4.41 Validity period for import and Revalidation of Authorisation

(e) For Advance Authorizations issued on or after 15.08.2020 and not covered under Para 4.41(b) above, only one revalidation for twelve months from expiry date shall be allowed. No further revalidation would be allowed for such authorisations. The provision for revalidation as under Para 4.41(c) shall also not be applicable for such Advance Authorisations. Applications for any such revalidation may be submitted online to the concerned Regional Authority on or after 01.08.2021.

(ii) Existing Paras 4.51 and Para 4.57 are replaced with the new Paras as mentioned below:

| Existing Para | New Para |
|--|---|
| <p>4.51 Maintenance of Proper Accounts</p> <p>Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H or 4I, as applicable. These records are required to be sent to the concerned Regional Authority at the beginning of each licensing year for all those authorisations, which have been redeemed in previous licensing year. However, these records in said format are required to be submitted for authorisations issued on or after 13-05-2005. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption.</p> | <p>4.51 Maintenance of Proper Accounts</p> <p>Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H or 4I, as applicable. These records are required to be filed online at the beginning of each licensing year for all those authorisations, which have been redeemed in previous licensing year. The same may be submitted on the DGFT Website under Dashboard---- Repository---- CA/CE Repository.</p> |

| Existing Para | New Para |
|---|---|
| <p>4.57 Maintenance of proper accounts of import and its utilisation-</p> <p>Original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H. These records are required to be sent to Regional</p> | <p>4.57 Maintenance of proper accounts of import and its utilisation-</p> <p>Original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H. These records are required to</p> |

| | |
|--|---|
| Authority concerned along with request for bond waiver / redemption / discharge of export obligation / transferability. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption. | be filed online to Regional Authority concerned along with request for bond waiver / transferability. |
|--|---|

Effect of this Public Notice: With this Public Notice –

- i. Para 4.41 of Handbook of Procedures 2015-20 is amended to allow only one revalidation for a period of 12 months to Advance Authorisations issued on or after 15.08.2020 (instead of 2 revalidation of 6 months each, provided earlier).
- ii. Para 4.51 and 4.57 of Handbook of Procedures 2015-20 are amended to allow submission of record in online mode.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.